

छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

:: अधिसूचना ::

रायपुर, दिनांक 6.9.2005

फा0क0 7169 / डी-2157 / 21-ब / छ0ग0 / 05, -कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (कमांक 66 सन् 1984) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात् विभाग की अधिसूचना कमांक 1502 / डी-397 / 21-ब / छ0ग0 / 05, दिनांक 24.02.2005 में निम्नलिखित संशोधन करती है तथा दिनांक 1.10.2005 से अतिरिक्त कुटुम्ब न्यायालय स्थापित करती है ।

:: संशोधन ::

(1) उक्त अधिसूचना के अनुसूची 2 में सरल कमांक 5 के पश्चात् सरल कमांक 5-क जोड़ा जाए: अर्थात् -

अनु0क0	न्यायालय का नाम	मुख्यालय	क्षेत्राधिकार
5-क	न्यायालय, तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग	दुर्ग	राजस्व जिला दुर्ग नोट:- वह प्रधान न्यायाधीश, दुर्ग राजस्व जिला दुर्ग द्वारा अंतरित मामलों का विचारण करेगा ।

(2) उक्त अधिसूचना के अनुसूची-दो में सरल कमांक 6 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ा जाए,-

अनु0क0	न्यायालय का नाम	मुख्यालय	क्षेत्राधिकार
1	2	3	4
7.	कुटुम्ब न्यायालय, कोरबा	कोरबा	राजस्व जिला कोरबा कटघोरा न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर

1	2	3	4
8.	कुटुम्ब न्यायालय, रायगढ़	रायगढ़	राजस्व जिला रायगढ़ सारंगढ़, घरघोड़ा और धर्मजयगढ़ न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को छोड़कर
9	कुटुम्ब न्यायालय सरगुजा (अंबिकापुर)	सरगुजा (अंबिकापुर)	बैकुण्ठपुर, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़, प्रतापपुर और रामानुजगंज न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को छोड़कर

NOTIFICATION

F.No.7169 /D-2157/XXI-B/C.G./05,- In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Family Court Act, 1984 (No.66 of 1984), the State Government in consultation with the High Court of Chhattisgarh makes following amendment in departmental notification No.1507/D-397/XXI-B/C.G./05, dated 24-2-05 and establish Additional Family Court for Serial No. 5 of the said notification, in Schedule-II, the serial No. 5-A shall be added, namely;

AMENDMENT


(1) After Serial No.5 of the said notification, in Schedule -II, the serial No.5-A shall be added, namely;-

S.No.	Name of the Court	Headquarters	Jurisdiction
5-A.	Court of IIIrd Additional Principal Judge, Family Court, Durg.	Durg	Revenue District Durg Note-He shall try the cases transferred by the Principal Judge, Durg of Revenue District, Durg.

2. After serial No.6 of the said notification in schedule-II the following entries shall be added:-

S.No.	Name of the Court	Headquarters	Jurisdiction
7.	Family Court, Korba.	Korba	Revenue District Korba excluding the jurisdiction of Court at Katghora.
8.	Family Court, Raigarh	Raigarh	Revenue District Raigarh excluding the jurisdiction of Courts at Sarangarh, Gharghoda & Dharamjaigarh.
9.	Family Court, Surguja (Ambikapur)	Surguja (Ambikapur)	Revenue District Surguja excluding the jurisdiction of Courts at Baikunthpur, Surajpur, Manendragarh Pratappur and Ramanujanj.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,


(पी पी शर्मा)
प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग
पृष्ठांकन क्र० 7169 /डी-2157/21-ब/छ0ग0/05 रायपुर, दि० 06.9.05
प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, छ0ग0 उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक 4370/तीन-8-2/2001, दि० 31.8.05 के संदर्भ में,

कमश...4.

2.

उप-संचालक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव, छ0ग0
की ओर छ0ग0राजपत्र (असाधारण) के आगामी अंक में
अनिवार्य रूप से प्रकाशित कर उसकी 200 प्रतियाँ इस विभाग
को भेजने हेतु

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

6.9.2017
Jc (ए0 के0 सामंत रे)
उपसचिव
छ0ग0शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग